भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या *32
19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मात्स्यिकी क्षेत्र को राजसहायता

***32. श्री हिबी ईडन:**
श्री एम. के. राघवन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार ने देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए राजसहायता के संबंध में विश्व व्यापार संगठन में कोई समझौते किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की योजना देश में मात्स्यिकी हेतु राजसहायता कम करने की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास अन्य देशों के द्वारा अपने मछुआरों को प्रदान की जाने वाली मत्स्यन राजसहायता के बारे में कोई आँकड़े हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह पाया है कि देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक मत्स्यन हो रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कोई बड़ी निजी कंपनियां अथवा निगम देश में बड़े पैमाने पर मत्स्यन/कार्यकलापों में लगे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ङ:): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

"मात्स्यिकी क्षेत्र को राजसहायता" के संबंध में 19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री हिबी ईडन और श्री एम. के. राघवन, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *32 के उत्तर के संदर्भ में विवरण ।

(क) जिनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारहवें सत्र (एमसी-12) के दौरान सदस्यों द्वारा 17 जून, 2022 को 'मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता' को सर्वसम्मति से अपनाया गया है ।

(ख) देश में मात्स्यिकी सब्सिडी को कम करने की सरकार की कोई योजना नहीं है ।

(ग) डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों द्वारा डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समझौते (एससीएम समझौते) के अनुच्छेद 25 के अनुसार मात्स्यिकी सब्सिडी सहित सब्सिडी के बारे में जानकारी संबंधित सदस्य देशों द्वारा डब्ल्यूटीओ को प्रस्तुत की जाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) द्वारा डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट और अन्य स्रोतों में उपलब्ध मात्स्यिकी सब्सिडी के बारे में समय-समय पर डेटा संकलित किया जाता है। कुछ प्रमुख देशों द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र में दी गई सरकारी सहायता के संबंध में संकलित जानकारी अनुबंध में दी गई है।

(घ) देश में समुद्री मत्स्यन (मरीन कैप्चर फिशेरीस) ज्यादातर छोटे पैमाने पर होती है। देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक मत्स्यन नहीं हो रहा है ।

(ङ) कोई भी बड़ी निजी कंपनियां या निगम देश में बड़े पैमाने पर मत्स्यन गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं ।

*****

अनुबंध

मात्स्यिकी क्षेत्र को कुछ प्रमुख देशों द्वारा दी गई सरकारी सहायता

क्रम सं	देश	लगभग सरकारी सहायता (वर्ष 2016) (अमेरिकी डॉलर में)
1	डेनमार्क	108463640
2	स्वीडन	94182845
3	नीदरलैंड	107706456
4	न्यूज़ीलैंड	92940818
5	नॉर्वे	305759774
6	कनाडा	756258766
7	आयरलैंड	75848582
8	जर्मनी	1833460
9	ऑस्ट्रेलिया	179205180
10	जापान	1271476719
11	यूनाईटेड स्टेट्स	840559023
12	टर्की	174805761
13	स्पेन	17768821
14	यूनाइटेड किंगडम	12132974
15	मलेशिया	78593291
16	अर्जेंटीना	72641715
17	ब्राज़िल	430826992
18	पेरू	60020588
19	कोरिया गणतंत्र	64384527
20	फ्रांस	8366778
21	चीन	3833977974
22	चीनी ताइपेई	71503599

डेटा स्रोत: *आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की वेबसाइट 18 जुलाई, 2022 को एक्सेस की गई*